

फर्द अहकाम

शिवनन्पाल बनाम बरफीदेवी
उपखण्ड अधिकारी शाहपुर
२१/२०११

क्र. आंक या सर्वकारी	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
२१/०१/२२	<p>आज्ञा पत्र उपखण्ड/अभिभावक संघ के आयिक कार्य स्थगित रखा/P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य <u>04/12</u> को रखा है। सबसे पत आदेशानुसार दि. <u>21/5/22</u> को रखा है।</p> <p>(रीडर)</p>	
२/५/२२	<p>आज्ञा पत्र उपखण्ड/अभिभावक संघ के आयिक कार्य स्थगित रखा/P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य <u>04/12</u> को रखा है। सबसे पत आदेशानुसार दि. <u>9/6/22</u> को रखा है।</p> <p>(रीडर)</p>	
३-५-२२	<p>पत्रावली साज वाही की भोर से अपने अधिकारों के साथ उपखण्ड द्वारा क्या पत्रावली में वाहीनामा होने से उपखण्ड को आगे नहीं चलाना चाहिए वही हुए सधा विश्व जिसे जाने हुए निवेदन किया/वाही के अवकाश ने स्थगित होना बिना किसी/अस के वाही सुधी वाहीनामा होने से सधा विश्व जिसे जाने हुए निवेदन किया/अस उपखण्ड सधा विश्व जिसे जाने का नीमत तरीक पेशी ३-६-२२ से पत्रावली सधम की जाणा सधा विश्व धर्यना उप खीना किना जाणा प्राण २वांरिज किया जाणा है। पत्रावली असिधम निरंतरण हुए दिनांक 14/5/22 को लोक अदालत में पेश हो।</p>	<p>दि. 14/5/22</p> <p>अधीक्षक</p> <p>15/5/22</p>
५/५/२२	<p>उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) सुजस्थाप पत्रावली साज वाजसु लोक अदालत में पेश हुए उपखण्ड में सब को ही कार्यवाही को नही दे अस पत्रावली के सधम सुकार होना सधिम सधमरही तथा नमक से कम हो।</p> <p>(अधीक्षक)</p>	